

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहकाम हुकम के में जा
18-6-2021	<p>कोविड-19 के कारण कोर्ट उप० नही। पत्रावली पेश हुई/वकील बादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पॉन्डेंट/प्राथी/अप्राथी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित हैं। श्रीमान पीठासीन अधिकारी श्रमण पर हैं/अवकाश पर हैं/अन्य कार्य में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है। अंतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक... 20-7-2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">रीडर</p>	
20-7-2021	<p>वकील उभयपक्ष उप०। पुनः ब्रह्म सुनी मारु। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 27-7-2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">5X</p>	
27-7-2021	<p>वकील उभयपक्ष उप०। न. न. प्रा० पत्र इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि गौरसायलान कादग्रस्त भूमि स० नं० 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000</p> <p style="text-align: center;">उप जिला कलेक्टर गंगापूर सिटी</p>	

1. इ.इलाल पुत्र मिश्रया, रैगर निवासी सालारपुर तह. गंगापुर सिटी
2. चनातार पुत्र मिश्रया, रैगर निवासी सालारपुर तह. गंगापुर सिटी
3. दिनेश पुत्र मिश्रया, रैगर निवासी सालारपुर तह. गंगापुर सिटी
4. धनवाई पुत्री मिश्रया, रैगर निवासी सालारपुर तह. गंगापुर सिटी
5. घीसी देवी बेवा मिश्रया, रैगर नि. सालारपुर तह. गंगापुर सिटी —सायलान  
बनाम

1. महेश पुत्र हजारी, रैगर निवासी सालारपुर तह. गंगापुर सिटी
2. विष्णु पुत्र हजारी, रैगर निवासी सालारपुर तह. गंगापुर सिटी
3. मन्जू पुत्री हजारी, रैगर निवासी सालारपुर तह. गंगापुर सिटी
4. मीरा पुत्री हजारी, रैगर निवासी सालारपुर तह. गंगापुर सिटी
5. शिमला पुत्री हजारी, रैगर निवासी सालारपुर तह. गंगापुर सिटी
6. मु० सीता बेबा हजारी, रैगर निवासी सालारपुर तह. गंगापुर सिटी
7. नाथूलाल पुत्री जैकिशन, रैगर निवासी सालारपुर तह. गंगापुर सिटी
8. रामप्रसाद पुत्र रामचन्द्र, रैगर निवासी सालारपुर तह. गंगापुर सिटी
9. काजू पुत्र रामस्वरूप, रैगर नि. सालारपुर तह. गंगापुर सिटी —गैरसायलान  
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :-श्री कैलाश चंद गुप्ता, एडवोकेट, सायलान की ओर से  
श्री प्रेमप्रकाश जोशी, एडवोकेट, गैरसायलान की ओर से

### निर्णय

सायलान ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि आराजी ख०नं० 293 रकवा 0.26 है०, ख०नं० 294 रकवा 0.32 है०, ख०नं० 295 रकवा 0.32 है०, ख०नं० 296 रकवा 0.82 है०, ख०नं० 297 रकवा 0.24 है०, ख०नं० 298 रकवा 0.24 है०, ख०नं० 299 रकवा 0.29 है०, ख०नं० 300 रकवा 0.72 है० कुल कित्ता 8 कुल रकवा 3.21 है० वाके ग्राम सालारपुर तहसील गंगापुर सिटी में स्थित है, जो की सायलान व गैरसायलान 1 ल० 11 की खातेदारी व कब्जे काशत व हिस्से की भूमि है। सायलान 1 ल० 11 ने वर्णित आराजीयात का मौके पर बहामी बंटवारा कर रखा है, जिसमें वो अपने अपने हिस्से पर काबिज है और काशत करते चले आ रहे है। सायलान के हिस्से में ख०नं० 293 रकवा 0.26 है० व ख०नं० 299 रकवा 0.29 है० कुल कित्ता 2 रकवा 0.55 है० वाके ग्राम सालारपुर तहसील गंगापुर सिटी आयी है। जिस पर सायलान 1 ल० 5 का कब्जा काशत है। सायलान ने हाल ही बाजरे

३. उक्त काश्त कर रखी है। जो सरसब्ज खड़ी है। गैरसायलान संख्या 1  
 के हिस्से में ख०नं० 294 रकवा 0.32 है० भूमि वाके ग्राम सलारपुर  
 गंगापुर सिटी आयी है। जिस पर गैरसायलान संख्या 1 लं० 6 का  
 काश्त है। वाद पत्र में अंकित प्रतिवादीगण संख्या 7 व 8 मिसरया की  
 हैं तथा रघुनाथ की वारिस उसकी औरत मु० आनी व पुत्र मिसरया है।  
 उक्त दोनो माँ बेटे की मृत्यु हो चुकी है। इस प्रकार मिसरया की वारिस  
 उक्त औरत मु० मोत्या व उसका पुत्र लक्ष्मीनारायण है। इसके हिस्से में  
 ख०नं० 296 रकवा 0.82 है० व ख०नं० 300 रकवा 0.72 है० कुल किता 2 कुल  
 रकवा 1.54 है० भूमि वाके भूमि ग्राम सलारपुर तहसील गंगापुर सिटी आयी है  
 जिस पर उक्त दोनो वाद पत्र में अंकित प्रतिवादीगण काबिज है व काश्त कर  
 रहे है। गैरसायल संख्या 7 के हिस्से में ख०नं० 295 रकवा 32 ऐयर भूमि वाके  
 ग्राम सलारपुर तहसील गंगापुर सिटी आयी है। जिस पर प्रतिवादी संख्या 7  
 नाथुलाल का कब्जा काश्त है। गैरसायल संख्या 8 के हिस्से में ख०नं० 297  
 रकवा 0.24 है० भूमि वाके ग्राम सलारपुर तहसील गंगापुर सिटी आयी है।  
 जिस पर गैरसायल संख्या 8 रामप्रताप का कब्जा काश्त है। गैरसायल संख्या  
 काडू है। इसके पिता रामस्वरूप पुत्र जैकिशन फौत हो चुका है। इसलिये  
 इसके वारिस काडू उसके पुत्र को पक्षकार बनाया गया है। जो कि 1/12 का  
 हिस्सा ख०नं० 298 रकवा 0.24 है० भूमि वाके ग्राम सलारपुर तहसील गंगापुर  
 सिटी आयी है जिस पर गैरसायल संख्या 9 काडू का कब्जा काश्त है।  
 सायलान ने अपने हिस्से स्वामित्व व कब्जेकाश्त व खातेदारी की भूमि ख०नं०  
 293 रकवा 0.26 है० व ख०नं० 299 रकवा 0.29 है० वाके ग्राम सलारपुर  
 तहसील गंगापुर सिटी में अब करीब 1 माह पूर्व बाजरे की फसल बोई है जिसे  
 सायलान अपने परिवार के सदस्यों के साथ उक्त बाजरे की निदाई व गुदाई  
 दिनांक 03.08.2020 को कर रहे थे तो गैरसायल संख्या 1 ता 9 व उसके  
 परिवार के सदस्य एक राय होकर सायलान के हिस्से व कब्जेकाश्त के खेत में  
 घुस आये और कहने लगे कि हम तुम्हे इन खेतों में काश्त नहीं करने देंगे  
 तुम्हारे इस बाजरे को जानवरो को चरा देगे या बाजरे होने पर काट कर ले  
 जायेंगे। वादीगण ने उक्त सभी गैरसायल से ऐसा करने से मना किया तो वो  
 मारने पीटने पर आमादा हो गयो तथा धक्का मुक्की करने लग गये।  
 गैरसायलान ने सायलान को अपने उक्त दोनो खेतों की निदाई, गुराई नहीं  
 करने दी। इस कारण सायलान को यह प्रार्थना पत्र अस्थायी पेश करना  
 आवश्यक हुआ है। गैरसायलान झगडालू व सरगना किस्म के व्यक्ति है  
 सायलान की खातेदारी की भूमि वर्णित पैरा नम्बर 4 में से सायलान को

प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे आराजी 293 रकवा 0.26 है0 व ख0नं0 299 रकवा 0.29 है0 ग्राम सलारपुर गंगापुर सिटी में जो सायलान के कब्जे काश्त, खातेदारी की भूमि है गैरसायलान किसी प्रकार से मजाहमत पैदा नहीं करें, न ही अन्य किसी से एवं सायलान को उपरोक्त कृषि भूमि से बेदखल कर कब्जा नहीं करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को तलब किया गया।

गैरसायल सं0 1 लगायत 6 की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया। जिसमें सायल के अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए जबाब के विशेष विवरण में अंकित किया है कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में विवादित भूमि खसरा नम्बर 293 रकवा 0.63 हेक्टर, खसरा नम्बर 294 रकवा 0.32 हेक्टर, खसरा नम्बर 295 रकवा 0.32 हेक्टर, खसरा नम्बर 296 रकवा 0.82 हेक्टर, खसरा नम्बर 297 रकवा 0.24 हेक्टर, खसरा नम्बर 298 रकवा 0.24 हेक्टर, खसरा नम्बर 299 रकवा 0.29 हेक्टर, खसरा नम्बर 300 रकवा 0.72 हेक्टर कुल रकवा 3.11 हेक्टर भूमि ग्राम सलारपुर तहसील गंगापुर सिटी में से मिश्रया पुत्र श्री पन्ना जाति रैगर निवासी हबीवपुर तहसील गंगापुर सिटी हबीवपुर द्वारा बहक श्री हजारी पुत्र श्री रामचंद रैगर निवासी हबीवपुर के हक में दिनांक 08.04.1996 को तादादी 10/- रूपये के नौन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अपने 1/6 हिस्से को मुबलिग रूपया 50,000/- रूपये में वय कर गैरसायलान के पिताजी को तत्समय ही कब्जा संभाला दिया गया था तथा खरीद के दिनांक आज तक गैरसायलान संख्या 1 लगायत 6 का कब्जा इस भूमि पर निरन्तर चला आ रहा है। उक्त विक्रय शुदा भूमि वास्ते स्पेशीफिक परफोरमेन्स व चाराजोहीशुदा है। जिसका की तकासमा भूमि में गैरसायलान के पक्ष में होना आवश्यक है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र टी0आई0 सायलान मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के समर्थन में सायलान ने छायाप्रति नकल जमाबंदी संवत 2071-2074 ग्राम सलारपुर खाता संख्या 104, छायाप्रति नकल नक्शा ट्रेस, फोटोकॉपी नकल जमाबंदी संवत 2063-2066 खाता संख्या 93, फोटोकॉपी मृत्यु प्रमाण पत्र मिश्रया पुत्र कजोडया प्रस्तुत किये हैं।

उप जिला कलेक्टर  
गंगापुर सिटी (सं0मा0)



गैरसायलान ने गैरसायलान की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।

विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

विद्वान के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अन्तर्गत बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि का पक्षकारो के मध्य मौके पर नक्शा हो रहा है जो नक्शा ट्रेस की छायाप्रति से भी स्पष्ट है कि मौके पर अलग नम्बर बने हुए है। सायलान के हिस्से में ख0न0 293 व 299 आये है। जिन पर सायलान का कब्जा काशत है। गैरसायलान सायलान को भूमि के कब्जे काशत में बाधा उत्पन्न करते है इसलिए गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

गैरसायलान के विद्वान वकील ने अपने जबाब के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि सायलान के पिता मिश्रया पुत्र पन्ना रैगर ने दिनांक 8.4.1996 को अपने हिस्से की 1/6 भूमि का विक्रय पचास हजार रुपये में गैरसायलान 1 लगायत 6 के पिता हजारी को कर दिया था तथा इसका एक विक्रय पत्र 10/- के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर जबाबदारान के पिता के पक्ष में लिख दिया था। अब वादग्रस्त भूमि से सायलान का कोई वास्ता नहीं है। इसलिए इनका प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। सायलान ने अपने अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में यह तथ्य अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि का मौके पर पक्षकारो के मध्य बहामी बंटवारा हो चुका है। जिसके अनुसार ख0न0 293 रकबा 0.26 है0 व ख0न0 299 रकबा 0.29 है0 ग्राम सलारपुर सायलान के हिस्से में आये है। जिन पर वादीगण काबिज काशत है। गैरसायलान तथाकथित फर्जी स्टाम्प की आड में सायलान को भूमि के कब्जे काशत में दखल उत्पन्न करते है। गैरसायलान की ओर से फर्जी स्टाम्प की कोई छायाप्रति या असल स्टाम्प प्रस्तुत नहीं किया गया है। गैरसायलान 1 लगायत 6 द्वारा प्रस्तुत जबाब के पैरा संख्या 3 में सायलान के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के पैरा संख्या 3 को स्वीकार किया है। सायलान के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के इस पैरा संख्या 3 में सायलान ने वादग्रस्त भूमि का पक्षकारो के मध्य बहामी बंटवारा होना बताया है। इससे यह स्पष्ट है कि पक्षकारो के मध्य मौके पर भूमि का विभाजन हो रखा है। जहाँ तक सायलान के पिता द्वारा गैरसायलान के पिता को भूमि विक्रय का प्रश्न है, गैरसायलान की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है,

बाबूलाल वगैरा बनाम महेश वगैरा प्रा.पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

( 5 )

जिससे भूमि विक्रय होना प्रमाणित होता हो। ऐसी स्थिति में गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि गैरसायलान वादग्रस्त भूमि ख०न० 293 रकबा 0.26 है० व ख०न० 299 रकबा 0.29 है० ग्राम सलारपुर की मौके की स्थिति यथावत बनाए रखें, सायलान के कब्जे काश्त में मजामहत नहीं करे एवं सायलान को उपरोक्त कृषि भूमि से बेदखल करने का प्रयास नहीं करे।

पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 27.7.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( अनिल कुमार चौधरी )  
उप जिलाकलेक्टर  
गंगापुर सिटी  
उप जिला कलेक्टर  
गंगापुर सिटी (स०मा०)

